Need to give land ownership right to people displaced due to Bokaro Thermal, Maithan Dam and Konar Dam projects- Laid

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी **(**गिरिडीह**) :** डीवीसी ने 1950-51 में बोकारो थर्मल,मैथन बांध और कोनार बांध परियोजना के निर्माण के लिए ग्रामीणों को विस्थापित कर नया बस्ती, नवाटांड, लुआडीह, भुरसा,केसरकुरल गांव में बसा दिया । डीवीसी ने उजाड़े गए लोगों को विभिन्न मौजों में ऐसे दस्तावेजों के साथ बसाया है जिन्हें राज्य सरकार ने पिछले भूमि सर्वेक्षण के दौरान स्वीकार नहीं किया । इसलिए, पुनर्वासित लोग ऐसी भूमि पर रह रहे हैं जो दूसरों/वन/डीवीसी आदि के नाम पर दर्ज है और मालिकाना हक ना मिलने के कारण किसी केंद्रीय योजना का लाभ उन्हें मिल पा रहा है ।पुनर्वासित लोगों ने डीवीसी जैसी केंद्र सरकार की सार्वजनिक परियोजना के निर्माण के कारण अपनी पैतृक संपत्ति खो दी और भूमिहीन हो गए और पिछले 70 वर्षों से शरणार्थी की तरह रह रहे हैं । केंद्र सरकार और विद्युत मंत्रालय इस विषय का संज्ञान ले और पुनर्वासित लोगों को आवंटित भूमि का अपने नाम पर तत्काल म्यूटेशन दर्ज किया जाए । प्रत्येक पुनर्वासित परिवार को प्रमाण पत्र जारी किया जाए । विस्थापितों को प्राथमिकता पर अस्थायी रोजगार देने का प्रावधान किया जाए ।विस्थापित गांवों में बिजली, पेयजल और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास की सुविधा सहित आय पैदा करने वाली योजनाओं का लाभ दिया जाए । विस्थापित लोगों के अलावा अन्य को डीवीसी क्वार्टर पट्टे पर देने की नीति को तत्काल रद्द किया जाए ।

———

-